

एम जे सी आर 16/2023 संजु विरुद्ध राजू

31-05-2024

आवेदिका संजु बागडी की ओर से अधिवक्ता श्री दीपक सक्सेना ने उपस्थित होकर एक आवेदन पत्र शीघ्र सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया। विचारोपरान्त आवेदन स्वीकार कर प्रकरण आज सुनवाई में लिया गया।

आवेदिका द्वारा एक समझौता पत्र पेश किया गया।

प्रकरण एवं समझौता पत्र का अवलोकन किया गया।

अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदिका द्वारा यह आवेदन धारा 12 घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अनुतोष प्राप्ति हेतु अनावेदकगण के विरुद्ध पेश किया गया था। प्रकरण अभी अनावेदकगण की ओर से उक्त आवेदन के जवाब हेतु नियत था। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत समझौता पत्र से यह दर्शित होता है कि उभयपक्ष का समाज एवं रिश्तेदारों द्वारा समझौता करवा दिया गया है एवं वे अब अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाहन प्रेम पूर्वक करेंगे एवं दोनों प्रेम से पति पत्नी के रूप में रहकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे।

आवेदिका से इस संबंध में न्यायालय द्वारा पुछताछ की गयी तो आवेदिका ने अनावेदकगण से बिना किसी डर दबाव या प्रलोभन के समझौता करना व्यक्त किया।

ऐसी स्थितियों में प्रस्तुत आवेदन पर कोई कार्यवाही की जाना शेष नहीं रहती है। अतः प्रस्तुत समझौता पत्र को स्वीकार किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम उचित समयावधि में सीआईएस पर दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार प्रेषित किया जाए।

(वंशिता गुप्ता)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सुसनेर जिला आगर मालवा म.प्र.